

# FORM NO. III

## फुर्द अहकाम (नियम 26)

जिल्ला उपखण्ड अधिकारी मुकाम उपखण्ड अधिकारी  
डुंगला रात्री बनाम मालवीय डुंगला  
 कदमी प्राथमिक पत्र नं. 11/2020 सन्

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>2/25</p>	<p>पत्रावली पेश डी वकील प्राथी उपरिखत। विपक्षीण एवं इनके अधिकाता वावजूद सूचना के उपरिखत नहीं हुए बार-बार आवजों लगवाई गई फिर भी कोई उपरिखत नहीं होने से इनके सिद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का अदेश दिया जाता है। वकील प्राथी को एक पक्षीय बहस को सुना गया वकील प्राथी ने बहस में कथन किया गया कि प्राथमिक पत्र में वर्णित भूखेती नम्बर 597 रकबा 0.0330 है भूमि में से 2/3 एक डिकरता जो रेकार्ड है जिसमें विपक्षीण द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहते हैं विपक्षी संख्या 1 के द्वारा 20x25 पीट पर एक निमिण कार्य कर दिया है अब और कोई निमिण कार्य नहीं हो इस हेतु विपक्षीण को रखगन अदेश से वाबजूद किया जावे। पत्रावली का एवं रेलगन रावप्रव रेकार्ड एवं दरलविजों का अवलोकन कर परीक्षण किया गया परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्राथीण को रखदेदरी भूखेती नम्बर 597 के 2/3 एक डिकरता जो प्राथीण की रखदेदरी को है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई निमिण कार्य नहीं करने हेतु विपक्षीण को अस्थायी निषेधाज्ञा के रखगन अदेश से वाबजूद किया जाना आवश्यक है। अतः अदेश दिया जाता है कि मौजा करसाना पटवार मण्डल करसाना में स्थित भूखेती नम्बर 597 रकबा 0.0330 है भूमि में से 2/3 एक डिकरता जो प्राथीण का है। इस पर विपक्षीण कब्जा कर</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
डुंगला



नम्बर के अहकाम हुकम की में जारी

मय पक्ष उपरिखत दिया गया

24.9.24 को

पक्ष उपरिखत दिया गया

24.9.24 को

उपरिखत/

गया पत्रावली को पेशावे

गया

पक्ष उपरिखत

या गया

24.9.24 को

आयकर की दरें (पुराने)

(i) 2.50 लाख तक

(ii) 2.50 लाख से 5.00 लाख तक

(iii) 5.00 लाख से 10.00 लाख तक

(iv) 10.00 लाख से अधिक

क कटौती :- कर निर्धारण 100 रु. मिलेगी।

पुरानी स्कीम में व्यक्तिगत कर से आय पर देय कर या अधिभार स्कीम में व्यक्तिगत करदाता -25 से 25000 रु. की कर दर एवं शिक्षा अधिभार (Head) का अधिभार लागू होगा।

नियुक्त भूतपुत्र संनिको (प्रचारी विद)

ई (Without Arms)

ई (With Arms)

आ अधिकारी

गरी

50

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>597 के किसी भी रकबे के भू-भाग पर धूलवाछे के तृकिसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे, नही करे क्षति के स्वरूप को परिवर्तित नही करे। मोर्चे की प्रवृत्ति वनामे रखे। निष्पत्ति लिखाया जाकर खुलासा गमा।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार वीकर नम्बरसे कम वे।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी डूंगला</p>

न्यायालय उपखण्ड

1. श्रीमति रामी पुत्री जमना 60 वर्ष, निवासी गांधी चित्तौड़गढ़ मो.नं. 94609
2. श्रीमति पुष्पा पुत्री जमना 60 वर्ष, निवासी मंगलवाड़ मो.नं. 90016402
3. श्रीमति मंजु पुत्री जमना 40 वर्ष, निवासी मंगलवाड़ मो.नं. 9667301386

1. ✓ श्री कालुलाल पुत्र करसाना, तहसील
2. ✓ श्री हरलाल पुत्र करसाना, तहसील
3. ✓ श्री मोहनलाल पुत्र करसाना, तहसील
4. ✓ श्री फुलचन्द पुत्र करसाना, तहसील

महोदय जी,

प्रार्थीगण

निम्न पेश है :-